सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 09, शुक्रवार, *शाके* 1941–फरवरी 28, 2020 *Phalguna 09, Friday, Saka 1941–February 28, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2020

संख्या प.20(2)गृह-9/12 पार्ट-1:-यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निम्न आदेश जारी किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 27.02.2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के प्रयोजन के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 31.07.2020 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पी.सी. बेरवाल,
विशिष्ठ शासन सचिव,

3058

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।